जहां तक मैं समझता हूं, उनके कार्य-काल में भी सरकारी कामकाज आदमियों के ही हाथ में रहा होगा, देवताओं के हाथ में नहीं। नहीं मैं यह क्लेम कर सकता हूं कि चूंकि अब मैं आ गया हूँ, इसलिए सब काम एंजल्ज के हाथ में आ गया है। इसलिए आदमियों पर जितनी पाबन्दी लगाई जा सकती है, उसको लगाने में हम पूरी तरह से सतर्क हैं।

मेरे दोस्त ने कहा है कि ब्रिटेन मे तीन सौ साल तक घपला हुआ, तो वहाँ कार्पोरेशन बना दिया गया। मैं इस वक्त उस बहस मे नही जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका इस प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नही है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर पोस्टल सर्विस को एक कार्पोरेशन को देने के ये कारण नही थे। यहा पर भी कार्पोरेशन बना देने से भले ही हम अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दे, लेकिन उससे शैतानो की दुनिया खत्म नही हो जायेगी, फेक स्टैम्प वगैरह बनाने वाले खत्म नही हो जायेगे। यदि हम यह समझें कि कार्पोरेशन बनाना ही इस समस्या का सम्पूर्ण और एकमात्र इलाज है, तो इस दिशा मे सोचा जा सकता है।

ये स्टैम्प वगैरह नासिक के छापेखाने मे छपते हैं। वह छापाखाना वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री के नीचे काम करता है। जो कागज वह इस्तेमाल करता है, हम उसका मूल्य देते है। उस कागज के सम्बन्ध मे अगर कोई तथ्य श्री पांडे के पास है और वह उन तथ्यों को वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्टर को दे दें, तो मै उनका उपकार मानूंगा। इससे उस मिनिस्ट्री को अपने विभाग को ठीक करने मे सहायता मिलेगी।

जहां तक सी० बी० आई० का सम्बन्ध है, हमने पहले ही सी० बी० आई० को केस दिया था, लेकिन जब हमने देखा कि देर हो रही है, कही ऐसा न हो कि सब कुछ तितर-बितर हो जाये, तो हमने लोकल पुलिस द्वारा पकड़वाना शुरू कर दिया। हमने सी० बी० आई० को रोका नहीं है। वे चाहें तो कर सकते हैं।

I am sorry. I made a slip. प्रिंटिंग प्रैस वर्कस एण्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री के नही, फिनांस मिनिस्ट्री के कंट्रोल मे है।

12 27 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

IRON AND STEEL (CONTROL) AMENDMENT ORDER, 1972

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : I beg to lay on the Table a copy of the Iron and Steel (Control) Amendment Order, 1972 (Hindi and English versions) published in Notification No. S. O. 195 (E) in Gazette of India dated the 16th March, 1972, under sub section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in library. See* No LT-1662/72]

INDIAN EMIGRATION (AMENDMENT) RULES 1972 AND NOTIFICATION UNDER PASSPORTS ACT, 1967

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B. SHANKARANAND): Sir, on behalf of Shri Surendra Pal Singh, I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Indian Emigration (Amendment) Rules, 1972 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 66 (E) in Gazette of India dated 1st February, 1972, under sub-section